




तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
जो इस हु  
में जारी

पुस्तक करता है जो किन्थाय के सिद्धान्त विकसित  
है। वादी द्वारा दावा लक्ष्यों को धुपते हुए प्रस्तुत  
किया है, वर्तमान में वादबर्धित आराजी में वादी  
का कोई हिस्सा नहीं होने से वादी का वाद  
खारिज किमै जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी को अन्तगत चार 53 R.T.  
वर्ष का वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि  
का विक्रय कर हिमै जाने से वाद खारिज  
किया जाता है। पत्रावली केसल कुमार होकर  
नम्बर से कम है।

  
20/11/19